16.12.20	अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी, धारा 91 सीपीसी एवं वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा एवं सादेश व्यादेश प्रस्तुत कर वादपत्र को दर्ज रजिस्टर करने का निवेदन किया एवं निवेदन किया कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी में पोखर कायम कर रहे है प्रकरण न्यायालय श्रीमान् जिला जज महोदय, धौलपुर में प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व वाद मानते हुए प्रकरण राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापिस कर दिया गया। प्रकरण के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी पर अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने तर्कों में कोई कथन नहीं किया, केवल राजकीय सम्पत्ति का नुकसान होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र 80 (2) सीपीसी दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी तथा उसके साथ प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा चारागाह भूमि के संबंध में राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है, जबकि सिविल प्रकिया संहिता की धारा 80 सीपीसी में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायरी से पूर्व सम्बन्धित को 80 सीपीसी का नोटिस प्रचारित करेगा। नोटिस जारी होने की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरान्त ही वह सम्बन्धित विभाग के विरूद्ध वाद दायर कर सकता है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा 80 सीपीसी का नोटिस जारी नहीं करते हुए धारा 80 (2) सीपीसी के तहत राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायर करने की	

अनुमति चाही गई है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार विवादित भूमि चारागाह है तथा इस भूमि में मरनेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे पोखर निर्माण कार्य को रूकवाने के लिए वादपत्र दायर किया है, वादपत्र में वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मरनेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे पोखर निर्माण से प्रार्थीगण का निजी एवं सार्वजनिक हित किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, स्पष्ट नहीं होता है। यदि प्रार्थीगण का पोखर निर्माण कार्य से किसी प्रकार हित प्रभावित हो रहा है, तो उन्हें धारा 80 सीपीसी के तहत सम्बन्धित विभाग को नोटिस प्रचारित कर उनसे कारण की जानकारी लेनी चाहिए थी। यदि नोटिस की निर्धारित समयावधि में संतुष्ट जबाब नहीं दिया जाता तो वह राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायर कर सकता था। धारा 80 (2) सीपीसी के अनुसार ऐसे प्रकरण जो अर्जेंट प्रकृति के है तथा धारा 80 सीपीसी के नोटिस के जबाब में विलम्ब होने की दशा में उनका कोई अहित हो सकता है तो ऐसे प्रकरणों में धारा 80 (2) सीपीसी के तहत वाद दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चारागाह भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद अर्जेंट प्रकृति का प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 80 (2) सीपीसी खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80 (2) खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र वाद तामील एव तकमील हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 16.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर धौलपुर
धौलपुर (राज०)